न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 7/2024
जीसीएमएस नं. : 2024/79

प्रार्थी :– सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :– श्री प्रवीण पटेल/ खेमराज पटेल प्रोपराईटर ऋषभ दुध डेयरी, पटवार घर के सामने, कुपडा जिला बांसवाडा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि अप्रार्थी स्वयं

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 18–12–2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 27.09.2024 को ऋषभ दुध डेयरी, पटवार घर के सामने, कुपडा जिला बांसवाडा (राजस्थान) का निरीक्षण श्री मणि खिंची प्रवर्तन अधिकारी, श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत, प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान ऋषभ दुध डेयरी, पटवार घर के सामने, कुपडा जिला बांसवाडा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री प्रवीण पटेल/ खेमराज पटेल उपस्थित मिले। जांच में मौके पर घरेलु सिलेण्डर का उपयोग कर चाय बनाना पाया गया है। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	एचपी गैस	433801 B	21.200	16.000	5.200

(मुहर: कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (राज.))

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Yadav
Date: 2025.02.11 ...
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

श्री प्रवीण पटेल/ खेमराज पटेल द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के उपयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्यूलेटर एवं सिंगल गैस भट्टा जब्त किया जाकर डिण्डोर एचपी गैस तलवाडा के मैनेजर श्री प्रभुदास/ कालीदास साधु को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय बॉसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्यूलेटर एवं सिंगल गैस भट्टा को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 27.11.2024 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया अप्रार्थी ने जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया कि दिनांक 19.09.2024 को जिस मकान से मुझ प्रार्थी का सिलेण्डर जब्त किया जाना बताया है वह मुझ प्रार्थी के स्वामित्व व अधिपत्य का होकर मुझ प्रार्थी का मकान एक मंजिला बना हुआ है जिसके ग्राउण्ड फ्लोर पर दुकान व प्रथम मंजिल पर आवासीय मकान बना हुआ है। जिसमे मै अपने परिवार के साथ निवास करता हुॅ ग्राउण्ड फ्लोर पर निर्मित दुकान पर मै अपने परिवार की आजिविका के लिये ऋषभ दुध डेयरी के नाम से दुध का व्यवसाय करता हुं। मेरे द्वारा घरेलु सिलेण्डर से चाय बनाने का कोई व्यवसाय नही किया जाता है। बल्कि मुझ प्रार्थी की दुकान में रखे हुए दुध के फटने की आशंका को देखते हुए अपने आवासीय परिसर से घरेलु गैस सिलेण्डर से दुध गर्म किया जा रहा था। भविष्य में मुझ प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई गलती की पुनरावृत्ती नही की जायेगी। मुझ प्रार्थी के विरुद्ध अपनाई गई कार्यवाही को निरस्त करते हुए जब्त किए गए घरेलु गैस सिलेण्डर मय सिंगल बर्नर चुल्हा सुपूर्द करने आदेश फरमावे।

दिनांक 18.12.2024 को उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी का मकान एक मंजिला बना हुआ है जिसके ग्राउण्ड फ्लोर पर दुकान व प्रथम मंजिल पर आवासीय मकान बना हुआ है। जिसमे मै अपने परिवार के साथ निवास करता हुॅ ग्राउण्ड फ्लोर पर निर्मित दुकान पर मै अपने

Signature Not Verified

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

परिवार की आजिविका के लिये ऋषभ दुध डेयरी के नाम से दुध का व्यवसाय करता हुं। मेरे द्वारा घरेलु सिलेण्डर से चाय बनाने का कोई व्यवसाय नही किया जाता है। बल्कि मुझ प्रार्थी की दुकान में रखे हुए दुध के फटने की आशंका को देखते हुए अपने आवासीय परिसर से घरेलु गैस सिलेण्डर से दुध गर्म किया जा रहा था। भविष्य में मुझ प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई गलती की पुनरावृत्ती नही की जायेगी। मुझ प्रार्थी के विरुद्ध अपनाई गई कार्यवाही को निरस्त करते हुए जब्त किए गए घरेलु गैस सिलेण्डर मय सिंगल बर्नर चुल्हा सुपूर्द करने आदेश फरमावे।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 27.09.2024 को कल्पना स्वीट्स आंबापुरा जिला बांसवाडा (राजस्थान) का निरीक्षण श्री मणि खिंची प्रवर्तन अधिकारी, श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत, प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान ऋषभ दुध डेयरी, पटवार घर के सामने, कुपडा जिला बांसवाडा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री प्रवीण पटेल/ खेमराज पटेल उपस्थित मिले। जांच में मौके पर घरेलु सिलेण्डर का उपयोग कर चाय बनाना पाया गया है। श्री प्रवीण पटेल/ खेमराज पटेल द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के उपयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्यूलेटर एवं सिंगल गैस भट्टा जब्त किया जाकर डिण्डोर एचपी गैस तलवाडा के मैनेजर श्री प्रभुदास/ कालीदास साधु को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 1 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्यूलेटर एवं सिंगल गैस भट्टा को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार 1 घरेलु गैस सिलेण्डर ऋषभ दुध डेयरी, पटवार घर के सामने, कुपडा जिला बांसवाडा (राजस्थान) पर पर घरेलु सिलेण्डर का उपयोग कर चाय बनाना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द अभिग्रहण व सुपूर्दगी नाम पर मौके पर स्थित स्वयं अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना किया जाना प्रमाणित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.02.11 17:51:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्यूलेटर एवं सिंगल गैस भट्टा को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर एवं उसके साथ प्रयोग में लिये जा रहे रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टी गैस चुल्हा का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 18–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ इंदजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.02.11 11:01:38 IST
Reason: SelfAttested